रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2016/चैत्र 8, 1938
No. 109] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2016/ CHAITRA 8, 1938

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th January, 2016

No. 12-13/2006–CCH(Pt.V)- In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 and sub-section 20 of Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Government, hereby makes the following corrections in Homoeopathy (Degree Course) Amendment Regulations, 2015, are made in the English Version, namely –

1. At page 71, against serial number VIII, for "Reproducative" read "Reproductive";
2. At page 74, against serial number IV, in line 2 of "trainin" read "training"; and
3. At page 76, against point "B" for "Parctical" read "Practical".

Dr. LALIT VERMA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./401]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide number 7-1/83-CCH dated the 11th May, 1983 and subsequently amended vide:-

1. 12-13/87-CCH(Pt.II) dated the 24th September, 2003;
2. 12-4/2000-CCH(Pt.I) dated the 13th June, 2005; and
3. 12-13/2006-CCH(Pt.V) dated 14th July, 2015

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2016

मिसिल सं. 12–13/2006–के.हो.परि.(भाग–V)–केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59 वाँ) की धारा 33 के खण्ड (झ), (ञ) और (ट) व धारा 20 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 में आगे संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात्:–

1. इन विनियमों का नाम होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) द्वितीय संशोधन विनियम, 2015 होगा।

2. ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 (यहाँ इसके पश्चात् मूल विनियम के रूप में उद्धरित) में, विनियम 6 में –
(अ) में 'शल्य क्रिया' शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 1.3.2 में की गयी प्रविष्टियों को निम्न से प्रतिःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

''प्रश्न पत्र– II:

भाग– I	प्रणालीगत शल्य क्रिया		– 50 अंक
	(i)	कंठ, नासा, कर्ण	– 20 अंक
	(ii)	नेत्र चिकित्सा	– 20 अंक
	(iii)	दंत चिकित्सा	– 10 अंक
भाग– II:	प्रणालीगत शल्य क्रिया होम्योपैथिक औषध–शास्त्र		– 50 अंक
	(i)	कंठ, नासा, कर्ण होम्योपैथिक औषध–शास्त्र	– 20 अंक
	(ii)	नेत्र चिकित्सा में होम्योपैथिक औषध–शास्त्र	– 20 अंक
	(iii)	दंत चिकित्सा में होम्योपैथिक औषध–शास्त्र	– 10 अंक''

(ब) मूल विनियमों में, विनियम 12 के लिए, निम्न विनियम, को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''12. परीक्षकः– (i) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 (समय–समय पर संशोधित) में शिक्षण कर्मचारीवृन्द के लिए निर्दिष्ट योग्यता धारक के अतिरिक्त कोई व्यक्ति बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम हेतु आंतरिक अथवा बाह्य परीक्षक अथवा प्राश्निक अथवा निर्णायक नहीं होगा।

परन्तु कि

(अ) कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी डिग्री स्तर के होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में कम से कम तीन वर्षों का नियमित शिक्षण अनुभव न हो वह परीक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(आ) आन्तरिक परीक्षक उसी महाविद्यालय के शिक्षणकर्मचारीवृन्द से नियुक्त किया जाएगा जहाँ से अभ्यार्थी अथवा छात्र संबंध रखता हो।

(ई) एक परीक्षा पत्र बनाने वाले को आन्तरिक अथवा बाह्य परीक्षक नियुक्त किया जा सकता है।

(ii) अध्यक्ष या प्राश्निक या निर्णायक को नियुक्त करने का मापदण्ड निम्न होगा, अर्थात्:–

(1) अध्यक्षः सैद्धान्तिक एवं मौखिक अथवा प्रयोगात्मक अथवा नैदानिक परीक्षाओं हेतु नियुक्त किए गये परीक्षकों अथवा प्राश्निकों में से जो वरिष्ठ होगा उसे अध्यक्ष नियुक्त किया जायेगा तथा अध्यक्ष की अर्हता वही होगी जो होम्योपैथिक विषयों के प्रोफेसर की नियुक्त के लिए है।

(2) निर्णायकः एक प्रोफेसर अथवा एक एसोसिएट प्रोफेसर अथवा रीडर निर्णायक नियुक्त किए जाने हेतु योग्य होगा।

परन्तु एक सहायक प्रोफेसर अथवा लेक्चरर जिसे एक परीक्षक के रूप में 5 वर्षों का अनुभव हो, को निर्णायक की नियुक्ति हेतु योग्य माना जा सकता है।

(3) प्राश्निकः एक प्रोफेसर अथवा सह प्रोफेसर अथवा रीडर को प्राश्निक नियुक्त किया जायेगा।

परन्तु एक सहायक प्रोफेसर अथवा लेक्चरर को प्राश्निक नियुक्त हेतु योग्य माना जा सकता है यदि उसे परीक्षक का तीन वर्षों का अनुभव हो।

(iii) प्रश्नपत्रों के परिनियमन (माडरेशन) के लिए परीक्षा निकाय केवल एक परिनियमक या परिनियमक जो तीन संख्या से अधिक नहीं होगें, प्रश्न पत्रों के परिनियमन के लिए नियुक्त कर सकता है।

(iv) मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएं नियमतः संबंधित आंतरिक और बाह्य परीक्षकों पारस्परिक सहयोग के साथ लेंगे। उनमें से प्रत्येक को पूर्णांक अंकों में से 50 प्रतिशत तक अंकों में से अंक छात्रों को देने का हक होगा जो वे परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को, परीक्षा में साबित हुई उनकी योग्यता के अनुसार आबंटित करेंगें तथा इस प्रकार तैयार की गई अंक तालिका पर दोनों परीक्षक हस्ताक्षर करेंगे। परीक्षकों में से किसी को भी अलग से तैयार की गई और स्व हस्ताक्षरित अंक–तालिका, टिप्पणी सहित परीक्षा निकाय को अलग से भेजने का हक होगा। परीक्षा निकाय इस

प्रकार भेजी गई टिप्पणियों को संज्ञान में लेगा किन्तु उसे परीक्षाफल की घोषणा इन अंक–तालिकाओं के आधार पर ही करनी होगी।

(v) प्रत्येक होम्योपैथिक महाविद्यालय परीक्षाओं के संचालन के लिए आंतरिक और बाह्य परीक्षकों को सभी सुविधाएं देगा, और आंतरिक परीक्षक परीक्षाएं आयोजित किए जाने की सभी तैयारी करेगा।

(vi) बाह्य परीक्षक को यह हक होगा कि वह परीक्षा निकाय को होम्योपैथिक महाविद्यालय द्वारा दी गई सुविधाओं में ऐसी कमियों या त्रुटियों के संबंध में अपने विचार तथा टिप्पणी सूचित करे।

(vii) वह अपनी सूचना की एक प्रति केन्द्रीय परिषद् को भी ऐसी कार्रवाई किए जाने के लिए प्रेषित करेगा जैसा केन्द्रीय परिषद् उचित समझे।

डॉ0 ललित वर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./401]

नोट: मूल विनियमों को भारत के असाधारण राजपत्र भाग–III खण्ड–4 में संख्या 7–1/83–के.हो.प. के द्वारा दिनांक 11 मई, 1983 को प्रकाशित किया गया तथा तत्पश्चात् संशोधन किए गए:–

1. 12–13/87के.हो.प. (भाग–II) दिनांक 24 सितंबर, 2003,
2. 12–4/2000–के.हो.प. (भाग–I) दिनांक 13 जून, 2005, तथा
3. 12–13/2006–के.हो.परि.(भाग–V) (भाग–III) दिनांक 14 जुलाई, 2015

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th January, 2016

No.12-13/2006-CCH(Pt.V)– In exercise of the powers conferred by clauses (i), (j) and (k) of section 33 and sub-section (1) of section 20 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Homoeopathy (Degree Course) Second Amendment Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 6, – (a) under the heading "SURGERY" for the entries against the serial number 1.3.2, the following entries shall be substituted, namely, –

"Paper-II:

Section-I – Systemic Surgery		- 50 marks
(i)	ENT	- 20 marks
(ii)	Ophthalmology	- 20 marks
(iii)	Dentistry	- 10 marks
Section – 2: Systemic Surgery Homoeopathic Therapeutics		- 50 marks
(i)	ENT Homoeopathic Therapeutics	- 20 marks
(ii)	Ophthalmology Homoeopathic Therapeutics	- 20 marks
(iii)	Dentistry Homoeopathic Therapeutics	- 10 marks"

(b) in the principal regulations 12, the following regulation, shall be substituted, namely: –

"12. Examiners. –(i) No person other than the holder of qualification prescribed for the teaching staff in the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations, 2013 (as amended from time to time) shall be appointed as an internal or external examiner or paper-setter or moderator for the B.H.M.S. Degree Course:

Provided that, –

(a) No such person shall be appointed as an examiner unless he has at least three years' continuous regular teaching experience in the subject concerned, gained in a degree level Homoeopathic Medical College.

(b) Internal examiners shall be appointed from amongst the teaching staff of the Homoeopathic Medical College to which the candidate or student belongs.

(c) A paper setter may be appointed as an internal or external examiner.

(ii) The criteria for appointing the Chairman or paper-setter or moderator shall be follows, namely: –

(1) Chairman: Senior most person from amongst the examiners or paper-setters appointed for theory and oral or practical or clinical examinations shall be appointed as Chairman and the eligibility qualification for the Chairman shall be the same as for appointment of a Professor.

(2) Moderator: A Professor or Associate Professor or Reader shall be eligible to be appointed as moderator:

Provided that an Assistant Professor or Lecturer with five years experience as an examiner shall be eligible to be appointed as moderator.

(3) Paper-setter: A Professor or Associate Professor or Reader shall be appointed as a paper-setter:

Provided that an Assistant Professor or Lecturer with three years experience as an examiner shall be eligible to be appointed as Paper-setter.

(iii) The examining body may appoint a single moderator or moderators not exceeding three in number for the purpose of moderating question papers.

(iv) Oral and practical examinations shall as a rule be conducted by the respective internal and external examiners with mutual co-operation. They shall each have 50% of the maximum marks out of which they shall allot marks to the candidates appearing at the examination according to their performance and the marks-sheet so prepared shall be signed by both the examiners. Either of the examiners shall have the right to prepare, sign and send mark-sheets separately to the examining body together with comments. The examining body shall take due note of such comments but it shall declare results on the basis of the mark-sheets.

(v) Every Homoeopathic College shall provide all facilities to the internal and external examiners for the conduct of examinations, and the internal examiners shall make all preparations for holding the examinations.

(vi) The external examiner shall have the right to communicate to the examining body his views and observations about any short-comings or deficiencies in the facilities provided by the Homoeopathic College.

(vii) He shall also submit a copy of his communication to the Central Council for such action as the Central Council may consider fit."

Dr. LALIT VERMA, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./401]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide number 7-1/83-CCH dated the 11th May, 1983 and subsequently amended vide:-

1. 12-13/87-CCH(Pt.II) dated the 24th September, 2003;
2. 12-4/2000-CCH(Pt.I) dated the 13th June, 2005; and
3. 12-13/2006-CCH(Pt.V) dated 14th July, 2015

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.